G/F

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAY/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

S.NO. PC-V/9
RBE NO.154/97

No. E(P&A)I-97/CPC/LE-6 New Delhi, Dated: 10.11.97

The GMs/CAO(R)/OSDs,
All Indian Railways &
Production Units, etc.
(As per mailing list).

Sub:-Recommendations of the Fifth Central Pay Commission relating to enhancement of quantum of Maternity Leave and to allow Paternity Leave in respect of railway employees.

****

Consequent upon the decisions taken by the Govt. on the recommendations of the Fifth Central Pay Commission relating to Maternity Leave and Paternity Leave, the President is pleased to decide that the existing provisions of the Liberalised Leave Rules, 1949 may be treated as modified as follows in respect of railway employees:-

a) The existing ceiling of 90 days maternity leave provided in Rule 551 (i) ibid shall be enhanced to 135 days.
b) A male railway servant (including an apprentice) with less than two surviving children may be granted Paternity Leave for a period of 15 days during the confinement of his wife. During the period of such leave, he shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave. Paternity Leave shall not be debited against the leave account and may be combined with any other kind of leave (as in the case of Maternity Leave). It may not normally be refused under any circumstances.

2. These orders take effect from the date the orders were issued by the Department of Personnel & Training viz 7th October, 1997.

2/-

3. In the light of paragraph 2 above, a female railway servant in whose case the period of 90 days of Maternity Leave has not expired on the said date shall also be entitled to the Maternity Leave of 135 days. Similarly, Paternity Leave to a male railway employee may also be allowed in case his wife had given birth to the child on a date not prior to 135 days from the date of issue of this Order.

4. Correction Slip to Liberalised Leave Rules, 1949 as contained in Indian Railway Establishment Code, Vol.-I; 1985 Edition is being issued separately.

(RAHUL JHA)
EXECUTIVE DIRECTOR, PAY COMMISSION
RAILWAY BOARD.

No. E(P&A)I-97/CPC/LE-6 New Delhi, Dated: 10-11-97

Copy(with 100 spares) forwarded to the DAI(Railways)/New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways.

No. E(P&A)I-97/CPC/LE-6 New Delhi, Dated: 10.11.97

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, NFIR(with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF(with 35 spares).
3. The Members of the National Council Departmental Council and Secretary, Staff Side , National Council, 13-C, Road, New Delhi(with 90 spares).

for Secretary, Railway Board.

Copy forwarded to :-

1. The Secretary General FROA.
2. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officer Association.
3. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
4. The Secretary General, IRPOF.
5. The President, Indian Railway Class II Officer Association.
6. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
7. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.

Copy forwarded to:-

1. The Gms, N.F.Railway(Const.),CAO, Southern Railway(Const.) and Central Railway(Const.).
2. The F.A.&C.A.Os, All Indian Railways, Production Units, N.F.Railway(Const.) and Southern Railway(Const.).
3. The Director General, RDSO/Lucknow.
4. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway/Calcutta.
5. The CAO and FA&CAO, COFMOW/New Delhi.
6. The General Manager and FA&CAO, CORE/Allahabad.
7. The Principal, Railway Staff College/Vadodara.
8. The CAO(Const.), MTP(R)/Mumbai.
9. The CAO(Const.),MTP(R)/Chennai.
10. The Director, CAMTECH/Gwalior-474020.
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Naisk Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad.
12. The Managing Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS.
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi.
14. Office of the Chief Project Administrator(Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom (IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi.
15. The Director(Movement), Railways/Calcutta.
16. The Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
17. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence.
18. The Joint Director, Ireon & Steel, 3, Koila Ghat Street/Calcutta.
19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad, Bihar.
20. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi.
21. The Chairman, RCT/Delhi.
22. The Chariman, RRT/Chennai.
23. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Calcutta, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.
24. The Editor, Bhartiya Rail.
25. The Editor, ' Indian Railways'.
26. Chairman, Passenger Services Committee.
27. Member ,Passenger Amenities Committee.
28. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways(Rilway Board).
29. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
30. The Commissioner, Railway Safety/Lucknow.
31. Liaison Officer, V.CPC, Zonal Railways/PUs/ RDSO/Trg. Institutes/Metro Railway/COFMOW/CORE/RSC etc.

(RAHUL JHA)
EXECUTIVE DIRECTOR, PAY COMMISSION
RAILWAY BOARD.

Copy to :-

PPSs/PSs/Sr. PAs/PAs to: CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, DG/RPF, All Additional Members, All OSDs Secretary, All Executive Directors, JS, JS(G), JS(E), JS(C), JS(D), DS(G), JDPC-II, DEN, Dir(MPP), DEG, JDPC-I, JDE(N), JDE(P&A), JDE(GC), JDE(Gaz.), JDE(W), JDE(GP), JDE(Res.)I, DF(E), DDPC-III, IV, V, DDF(E) I, II & III, JDE(L), DDE(LR) I, II & III/Railway Board.

Cash- I, II, III &IV, Budget, E(P&A) II, E(G), E(NG)I & II, PC-III, IV, &V(100 Copies), E(Trg.), E(MPP), E(LR)I & II , F(E)-I, II & III, Security (E), Accounts III, ERB-I, II, III, IV, V & D, G(Pass), G(Acc.), E(Welfare), E(SCT), E(O) I, II, III & III(CC), E(GR)I & II, E(GP), E(GC), PR, E(D&A)/ Railway Board.

****

Authority:- Ministry of Personnel, Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training)'s O.M. No. 13018/1/97-Estt.(Leave), dated 7.10.97.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र·सं·पी·सी·V/9
आर·बी·ई·सं·154/97
सं·ई(पी एंड ए)I-97/सीपीसी/एल ई-6 नई दिल्ली, दिनांक: 10-11-97

महाप्रबंधक/मु·प्र·अ·(आर)/विकाधि·,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाईयां, आदि·
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल कर्मचारियों के मामले में प्रसूति छुट्टी की अवधि को बढ़ाना तथा पैतृत्व छुट्टी की अनुमति देने के संबंध में पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें·

प्रसूति छुट्टी तथा पैतृत्व छुट्टी के संबंध में पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति जी सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि उदारीकृत छुट्टी नियम, 1949 के मौजूदा प्रावधानों को रेल कर्मचारियों के मामले में निम्नानुसार संशोधित माना जाये:-

(क) नियम 551(1) में मुहैया कराई गई 90 दिन की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 135 दिन तक कर दिया जाये·

(ख) पुरुष रेल कर्मचारी (अप्रेंटिस सहित) जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को उनकी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिन की अवधि के लिए पैतृत्व छुट्टी प्रदान की जाये· ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान, उसे छुट्टी पर जाने से पूर्व ले रहे वेतन के समान छुट्टी वेतन का भुगतान किया जायेगा. पैतृत्व छुट्टी को उनके छुट्टी लेखे में से डेबिट नहीं किया जाएगा और इस छुट्टी को छुट्टी की किसी अन्य किस्म के साथ जोड़ा जा सकता है (जैसाकि प्रसूति छुट्टी के मामले में होता है)· साधारणतः इसे किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत मना नहीं किया जा सकता·

2· ये आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 7 7 अक्तूबर, 1977 से प्रभावी होंगे·

3· उपर्युक्त पैरा 2 को ध्यान में रखते हुए, महिला रेल कर्मचारी जिसके मामले में उक्त तारीख को 90 दिन की प्रसूति छुट्टी की अवधि समाप्त नहीं हुई है वह भी 135 दिनों की प्रसूति छुट्टी की पात्र होगी· इसी प्रकार, इस आदेश के जारी होने की तारीख से 135 दिन से पूर्व की तिथि में उस पुरुष रेल कर्मचारी को जिसकी पत्नी ने किसी बच्चे को जन्म दिया है, के मामले में भी पैतृत्व छुट्टी प्रदान की जाये·

4. भारतीय रेल स्थापना नियमावली, वाल्यूम-1, 1985 संस्करण में अंतर्विष्ट उदारीकृत छुट्टी नियम, 1949 में शुद्धि पत्र बाद में जारी किया जाएगा.

(राहुल झा)
कार्यपालक निदेशक, वेतन आयोग,
रेलवे बोर्ड.

सं•ई•§ पी•एंड•ए•§1-97/सीपीसी/एल•ई- 6 नई दिल्ली, दि० 10-11-97

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित:

1• महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेल§निर्माण§ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिण रेल §निर्माण§ तथा मध्य रेल §निर्माण§

2• वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेल §निर्माण§ तथा दक्षिण रेल §निर्माण§•

3• महानिदेशक, अ•अ•मा•सं•/लखनऊ•

4• महाप्रबंधक तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,मेट्रो रेल/कलकत्ता•

5• मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, काफमों/नई दिल्ली•

6• महाप्रबंधक तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कोर/इलाहाबाद•

7• प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कालेज/वडोदरा•

8• मुख्य प्रशासनिक अधिकारी§निर्माण§, म•प•प•§आर§/मुंबई•

9• मुख्य प्रशासनिक अधिकारी§निर्माण§ म•प•प•§आर•§/चेन्नई•

10• निदेशक, कैमटेक/ग्वालियर-474020•

11• निदेशक, इरीसेन/पुणे, इरीन/नासिक रोड, इरीमी/जमालपुर, इरीसेट/सिकंदराबाद•

12• प्रबंध निदेशक, राइट्स, इरकान, आई•आर•एफ•सी•, कानकोर इंडिया लि0, कार्यपालक निदेशक, क्रिस•

13• अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोंकण रेल निगम लि0/नई दिल्ली•

14• मुख्य परियोजना प्रशासक कार्यालय §दूरसंचार§, इरकॉट, शिवाजी ब्रिज/नई दिल्ली•

15• निदेशक §संचलन§, रेलवे/कलकत्ता•

16• संयुक्त निदेशक§वित्त§, अ•अ•मा•सं• लखनऊ•

17• संयुक्त निदेशक, मिल रेल, रक्षा मंत्रालय•

18• संयुक्त निदेशक, लोहा एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट/कलकत्ता•

19• मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद, बिहार•

20• अध्यक्ष, आर सी सी, लोकसभा सचिवालय/नई दिल्ली•

21• अध्यक्ष, आर सी टी/दिल्ली•

22• अध्यक्ष, आर आर टी/चेन्नई•

23• अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलूरु, भोपाल, भुवनेश्वर• चंडीगढ़, चेन्नई, कलकत्ता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद तथा त्रिवेंद्रम•

24• संपादक, "भारतीय रेल"•

25• संपादक, "इंडियन रेलवे"•

26• अध्यक्ष, यात्री सेवा समिति•

27• सदस्य, यात्री सुविधा समिति•

28• वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय§रेलवे बोर्ड§

29• जनरल सेक्रेटरी, भारतीय रेल सम्मेलन/नई दिल्ली•

30. रेल संरक्षा आयुक्त/लखनऊ.
31. संपर्क अधिकारी, पांचवां केंद्रीय वेतन आयोग, क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाईयां/अ.अ.मा.सं./प्रशिक्षण संस्थान/मेट्रो रेल/काफमो/कोर/रेलवे स्टाफ कालेज आदि.

(राहुल झा)
कार्यपालक निदेशक, वेतन आयोग,
रेलवे बोर्ड.

सं.ई.(पी.एंड.ए.)1-97/सीपीसी/एल.ई-6 नई दिल्ली,दिनांक: 10-11-97

प्रतिलिपि(100 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(रेलें)/नई दिल्ली को अग्रेषित.

एस.श्रीराम
कृते वित्त आयुक्त,रेलें.

सं.ई(पी.एंड.ए.)1-97/सीपीसी/एल ई-6 नई दिल्ली, दिनांक: 10-11-97

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एन एफ आई आर(35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. जनरल सेक्रेटरी, ए आई आर एफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद्, विभागीय परिषद् के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली(90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित:-
1. सेक्रेटरी जनरल, एफ आर ओ ए
2. सेक्रेटरी, आर बी एस एस, ग्रुप"ए" आफिसर्स एसोसिएशन.
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास 2 आफिसर्स एसोसिएशन.
4. सेक्रेटरी जनरल, आई आर पी ओ एफ.
5. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास 2 आफिसर्स एसोसिएशन.
6. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघ.
7. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास 4 स्टाफ एसोसिएशन.

प्रतिलिपि प्रेषितः-

प्र·वि·स·/नि·स·/वरि·नि·स·/नि·स·/ अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, महानिदेशक/रे·सु·बल, सभी अपर सदस्य, सभी विशेष कार्य अधिकारी, सचिव, सभी कार्यपालक निदेशक, संयुक्त सचिव§जी§, संयुक्त सचिव§ई§, संयुक्त सचिव§डी§, उप सचिव§जी§, संयुक्त निदेशक वेतन आयोग-2, निदेशक स्थापना अराजपत्रित, निदेशक §म·प·प·§, निदेशक स्थापना सामान्य,संयुक्त निदेशक वेतन आयोग-1, संयुक्त निदेशक स्थापना§एन§, संयुक्त निदेशक स्थापना §पी एंड ए§, संयुक्त निदेशक स्थापना§जी·सी·§, संयुक्त निदेशक स्थापना §जी सी§, संयुक्त निदेशक स्थापना §राज·§, संयुक्त निदेशक स्थापना §डब्ल्यू§, संयुक्त निदेशक स्थापना §जी पी§, संयुक्त निदेशक स्थापना §आरक्षण§1, निदेशक वित्त §स्थापना§, उप निदेशक वेतन आयोग-3, 4, 5, उप निदेशक वित्त §स्थापना§1,2 एवं 3, संयुक्त निदेशक स्थापना §एल§, उप निदेशक स्थापना §एल आर§ 1, 2, एवं 3/रेलवे बोर्ड·

रोकड़ 1, 2, 3 एवं 4, बजट ई§पी एंड ए§11, ई §जी§, ई §एन जी§ 1 एवं 2, पी सी-3,4 एवं 5 § 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित§ ई §ट्रेनिंग§, ई §एम पी पी§, ई§एल आर§ 1 एवं 2, एफ§ई§ 1,2, एवं 3, सिक·§ई§ लेखा 3, ई आर बी 1,2,3,4,5 एवं डी, सामान्य §पास§, सामान्य §आवास§, स्थापना §कल्याण§, ई§एस सी टी§, ई§ओ§ 1,2,3 एवं 3§सी सी§, ई §जी आर§ 1 एवं 2, ई §जी पी§, ई §जी सी§, पी आर, ई §डी एंड ए§/रेलवे बोर्ड·

प्राधिकारः- कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
§कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग§ का दि0 7·10·97
का का·ज्ञा·सं· 13018/1/97-स्था·§एल§·